न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/13/2023

वउनवान

1. राजेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र श्री धर्मचंद राजपूत उम्र करीब 41 साल निवासी नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. इन्द्रो पुत्री धर्मचंद जाति राजपूत उम्र करीब 42 साल निवासी नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. रावल कुमार पुत्र चुन्नीलाल उम्र करीब 24 साल जाति राजपूत निवासी नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः—

श्री संजय राजपूत — अधिवक्ता प्रार्थी

पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

आदेश दिनांक 11.03.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0 सं. 459, 690, 691, 692, 697, 698, 702, 703, 704, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, कुल किता 16 रकबा 4.1500 है0 वाके ग्राम सिरमौर तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/42—1/42 भाग के खातेदार है, बाकि हिस्से के अन्य हिस्सेदार सह खातेदार है। जिनसे प्रार्थीगण का कोई विवाद नही है। इसलिए सहखातेदारों को अनावश्यक पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण के 3/42 हिस्से की उक्त आराजी को आगे चलकर इस प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थी सं. 01 का वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार राजपूत है लेकिन हाल राजस्व रिकॉर्ड में मिन्दर गलत दर्ज कर रखा है, प्रार्थी सं. 02 का नाम इन्द्रो है जिसको गलती से राजस्व रिकॉर्ड में मिन्द्रो बाई दर्ज कर रखा है तथा प्रार्थीया सं. 03 का वास्तविक नाम रावल कुमार है जिसे रवी गलत दर्ज कर रखा है। इस बाबत प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम पेश कर आराजी ख0 सं. 459, 690, 691, 692, 697, 698, 702,

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

703, 704, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, कुल किता 16 रकबा 4.1500 है0 वाके ग्राम सिरमौर तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के क्रम सं. 7 लगायत 9 पर प्रार्थी सं. 1 का नाम मिन्दर की जगह राजेन्द्र कुमार राजपूत, प्रार्थी सं. 02 का नाम मिन्द्रा बाई की जगह इन्द्रो, प्रार्थी सं. 03 का नाम रवी की जगह रावल कुमार दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मार्कशीट एवं राशन कार्ड की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि रावल कुमार को रवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रार्थीगण की ओर से बिशनोबाई पत्नी स्व. श्री धर्मचंद, शीलोबाई पुत्री श्री किशनाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर के शपथ पत्र पेश किये है। शपथ पत्र में कथन किया गया है कि राजेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र श्री धर्मचंद, इन्द्रो पुत्री श्री धर्मचंद व रावल कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, जिनका बचपन से नाम राजेन्द्र कुमार राजपूत, इन्द्रो व रावल कुमार है। जो कि सत्य एवं सही है। विभागीय त्रुटी व सहवन से हाल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में राजेन्द्र कुमार राजपूत का नाम मिन्दर, इन्द्रो का नाम मिन्द्रो तथा रावल कुमार का नाम रवी दर्ज है, जो कि गलत एवं असत्य है।

136 <u>Correction of errors:-</u> **the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.**

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम मिन्दर की जगह

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

राजेन्द्र कुमार राजपूत, प्रार्थी सं. 02 का नाम मिन्द्रोबाई की जगह इन्द्रो, प्रार्थी सं. 03 का नाम रवी की जगह रावल कुमार दर्ज कर शुद्ध करने के आदेश जारी करना यह न्यायालय उचित मानता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम मिन्दर की जगह राजेन्द्र कुमार राजपूत, प्रार्थी सं. 02 का नाम मिन्द्रोबाई की जगह इन्द्रो, प्रार्थी सं. 03 का नाम रवी की जगह रावल कुमार दर्ज कर दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)